

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णन के मालों को, जो वित्त विधेयक, 2021 के उक्त खंड के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित की रकम से अधिक है, से छूट प्रदान करती है, -

सारणी

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0713 10	सभी माल	40%
2.	0713 20 10	सभी माल	30%
3.	0713 20 20	सभी माल	50%
4.	0713 20 90	चना (गार्बनजोस)	50%
5.	0713 40 00	मसूर	20%
6.	0808 10 00	सभी माल	35%
7.	1511 10 00	सभी माल	17.5%
8.	1507 10 00, 1512 11 10	सभी माल	20%
9.	2204, 2205, 2206, 2008	सभी माल	100%
10.	2701, 2702, 2703	सभी माल	1.5%
11.	3102 10 00, 3102 30 00	सभी माल	5%
12.	31	म्यूरिट आफ पोटेश, काम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन के लिए या खाद के रूप में उपयोग के लिए	5%
13.	3105 30 00	डाय-अमोनियम फास्फेट, काम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन के लिए या खाद के रूप में उपयोग के लिए	5%
14.	5201	सभी माल	5%
15.	7106 या 98	चांदी, जिसके अन्तर्गत चांदी डोरे भी है	2.5%

16.	7108 या 98	सोना, जिसके अन्तर्गत सोने डोरे भी है	2.5%
17.	किसी अध्याय	ऊपर क्रम सं. 1 से 16 के सामने उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	शून्य
18.	किसी अध्याय	सभी माल जिसपर अग्रिम प्राधिकारी के अधीन बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है	शून्य
19.	किसी अध्याय	सभी माल जिसपर उपाबंध में उल्लिखित अधिसूचनाओं, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हैं, के अधीन बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है।	शून्य

उपाबंध

क्रम सं.	अधिसूचनाओं के विवरण
(1)	(2)
1.	सा. का. नि. 499(अ) तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा अधिसूचना सं. 74/2005-सीमा शुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2005।
2.	सा. का. नि. 33(अ) तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. 10/2008-सीमा शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008।
3.	सा. का. नि. 943(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा अधिसूचना सं. 152/2009-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2009।
4.	सा. का. नि. 423(अ) तारीख 1 जून, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जून, 2011।
5.	सा. का. नि. 499(अ) तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011।
6.	सा. का. नि. 593(अ) तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 69/2011-सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011।
7.	सा. का. नि. 274(अ) तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003।
8.	सा. का. नि. 98(अ) तारीख 8 जनवरी, 1957 अधिसूचना सं. 3/57-सीमा शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार